



सप्तदश बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-16.12.2022 के लिए मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|-------------|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | डॉ० संजीव कुमार, स०वि०स० श्री ऋषि कुमार, स०वि०स० श्री चेतन आनंद, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० श्री विनय कुमार, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुना तिवारी, स०वि०स० श्री राजीव कुमार सिंह, स०वि०स० श्री मनोज यादव, स०वि०स० डॉ० सत्येन्द्र यादव, स०वि०स० | "बिहार प्रदेश अन्तर्गत गैरमजरूआ खास जमीन की खरीद-विक्री सहित लगान की रसीद कट्टी थी लेकिन सिर्फ उसी जमीन की, जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं थी और संबंधित जमीन की जमाबंदी कायम थी। पिछले लगभग 6 वर्षों से वैसी गैरमजरूआ खास जमीन जो किसान और उनके पूर्वज 100 वर्षों से उस जमीन का लगान रसीद कटवा रहे थे उनपर रोक की वजह से लगान रसीद नहीं कट रहा है साथ ही उस जमीन की बदोबस्ती भी नहीं हो रही है। इस कारण किसानों को सरकार से मिलने वाली फसल क्षतिपूर्ति सहित अन्य अनुदान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जात हो कि बिहार की 70% आबादी खेती पर ही निर्भर है और किसान किसी खास प्रयोजन में जमीन को बेच कर शादी-विवाह सहित अन्य पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं। रोक की वजह से इन किसानों को सरकारी अनुदान सहित जमीन की खरीद-विक्री का लाभ नहीं मिल पा रहा है।" | राजस्व एवं भूमि सुधार |

अतः गैरमजरूआ खास की जमीन जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है उसका लगान रसीद काटने की अनुमति देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

2. श्री भाई वीरेन्द्र,
स०वि०स०
- श्री हरि नारायण सिंह,
स०वि०स०
- श्री राजीव कुमार उर्फ मुना यादव,
स०वि०स०
- श्री छोटे लाल राय,
स०वि०स०
- श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन,
स०वि०स०
- श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन,
स०वि०स०

“राज्य के सरकारी विद्यालयों के रंग-रोगन, शिक्षा ब्लैक बोर्ड, शौचालय मरम्मत, साफ-सफाई, दीरी, टी-एल-एम्, स्वच्छता सहित अन्य कार्यों हेतु विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष, स्थानीय माननीय विधायक एवं सचिव, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक होते हैं। पूर्व में विद्यालयों के खाता का संचालन सचिव एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जाता था, परन्तु वर्तमान समय में सचिव एवं विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक विद्यालय प्रबंध समिति का खाता संचालन कर रहे हैं। वर्तमान समय में सरकारी द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रबंध समिति मात्र पाँच लाख तक की राशि ही खर्च कर सकती है, जिसके कारण सरकारी राशि का दुरुपयोग होने के साथ ही सही तरीके से विकास राशि खर्च नहीं हो रही है।

अतः राज्य में पूर्व की तरह विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा ही विद्यालयों के विकास के लिए विद्यालय का खाता संचालित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/2022- 867

/ विंस०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2022 ₹०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४१२ १५/१२/२२
(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/2022- 867

/ विंस०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2022 ₹०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप सचिव एवं माननीय मर्मिगण के आप सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मर्मिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४१२ १५/१२/२२
(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/2022- 867

/ विंस०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2022 ₹०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४१२ १५/१२/२२
(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/2022- 867

/ विंस०, पटना, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2022 ₹०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

४१२ १५/१२/२२
(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

४१२ १५/१२/२२